क्रमांक 31/ नजूल /14 (31) मंदसौर दिनांक 28/1/014

विविध - 859 - I/14

प्रति,

सचिव,
माननीय राजस्वमण्डल
ग्वालियर,

3-2-14

विषय:- प्रकरण मे पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत ।

विषयान्तर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक 25/अ-20(1)2011-12मे पारित आदेश दिनांक 17.8.2012 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित दलौदा को ग्राम एलची तह. [illegible] शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1374 रकबा 16.98 हे. मे से 1.000 हे.भूमि मद मगरा को भण्डारण सरंचना के निमार्ण हेतु तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा आबंटित की गई थी।

अतः उक्त प्रकरण क्रमांक 25/अ-20(1)2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 17.8.2012 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित दलौदा तह. दलौदा के स्थानपर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित एलची करने हेतु प्रकरण में पुनर्वविलोकन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे ।

संलग्न :- मूल प्रकरण 25/अ-20(1)2011-12,

27/1/14

प्रभारी अधिकारी नजूल,
जिला मन्दसौर

Nazul-13

A(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – विविध 859–एक / 14 जिला – मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी, नजूल जिला मंदसौर द्वारा अपने पत्र कमांक 94 / नजूल / 14 दिनांक 28–1–14 द्वारा कलेक्टर, मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 25 / अ-20(1)2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–8–12 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत उक्त प्रकरण के पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, नीमच उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में निश्चित आदेश पारित करें । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (signature) प्रशा० सदस्य	